रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 16, 1973/श्रावण 25, 1895

No. 200] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 1973/SRAVANA 25, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 16th August 1973

G.S.R. 393(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 173-A of the Central Excise Rules, 1944, and in continuation of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Nos. G.S.R. 1482, dated the 21st June, 1969, and G.S.R. 862, dated the 28th May, 1970, G.S.R. 1406, dated the 23rd September, 1971, G.S.R. 1730, dated the 12th November, 1971 and G.S.R. 211(E), dated the 25th March, 1972, the Central Government hereby specifies the following excisable goods as excisable goods to which the provisions of Chapter VII-A of the said rules shall apply, namely:—

The goods comprised in Item Nos. 62, 63, 64 and 65 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

2. This notification shall come into force on the 16th August, 1973.

[No. 161/73-C.E.F. No. 201/12/73-CX.6]

J. BANERJEE, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1973

सा० का० नि० 393(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173—क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1482, तारीख 21 जून, 1969 और सा०का० नि० 862, तारीख 28 मई, 1970, सा०का०नि० 1406, तारीख 23 सितम्बर, 1971, सा०का०नि० 1730, तारीख 12 नवम्बर, 1971 और सा०का०नि० 211(ड0), तारीख 25 मार्च, 1972 के क्रम में केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित उत्पाद-शुल्क योग्य माल को ऐसे उत्पाद-शुल्क योग्य माल के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिनको उक्त नियम के अध्याय 7—क के उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:—

माल जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 62, 63, 64 और 65 के अन्तर्गत आते हैं ।

2. यह अधिसूचना 16 अगस्त, 1973 को प्रवृत्त होगी ।

[सं० 161/73-सी० ई०, फा० सं० 201/12/73—सी एक्स—6]

जे० बनजर्जी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973